

20/3/18

8/5/18

16-5-18

प्रसाई न आधीतर दौर/अवका

पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु

दिनांक 16/5/18

को पेश हो

पत्राचार आज कागज आपकी ओर
लिखा करे आरक्षण के कन्द
अपलिहपुरा जिला के विपरीत 838

838 अका 0.70 हे० वाले ग्राम

देवपुरा तहसील जिला में दिनांक

16-2-15 को आर्यादे जिसे धारा जागी

की गई थी तत्पश्चात उक्त विपरीत

भूमि का हि० के अधिकार पुर व हपुरा

जागी का किया है देवपुरा तहसील जिला

को 5-1-2015 को के चार हो के पर

व हपुरा जिला के पत्रा 01/2/10

का किया जा दिनांक 17-1-18 को

अभी तक ही हुआ है इसी प्रकार

में विपरीत अका 838 अका 0.70

हे० वाले ग्राम देवपुरा तहसील जिला

का आर्यादे जिसे धारा का पत्रा

अभी तक किया जाता है तथा

फर्द अहकाम

बनाम

आदालत

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज्ञा पत्रकारान को ता: फौजिल स्थाई निषेधाज्ञा दी जा रही कि जानते हैं कि उक्त आवाजी की मालिक को निषेधाज्ञा दी जा रही है उक्त स्थाई निषेधाज्ञा किमती के मातामह को काममें रखने पर मजबूरी भूल को आज हम जीता रहे तथा अम्बर को कम होकर फौजिल सुनाकर रहे कि आज आदालत द्वारा कोर्ट आदालत को केन्दु जापसि हपुरा रहलीन को में सुनाया गया है	

उपखण्ड अधिकारी
 चौमू जिला जयपुर